

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 1/2022-सीमाशुल्क (सीबीडी)

नई दिल्ली 1 फरवरी, 2022

सा.का.न.....(अ).- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (सहायकी, वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 20 और 22 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9 की उपधारा (1) और (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 01/2017-सीमाशुल्क (सीबीडी), तारीख 07 सितंबर, 2017 जो सं. सा.का.नि. 1137(अ), तारीख 07 सितंबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, उन बातों के सिवाय, जिन्हे ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, का विखंडन करती है ।

[फा.सं. 334/01/2022-TRU]

(नितिश कर्नाटक)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण :- मूल अधिसूचना, संख्यांक 01/2017-सीमा-शुल्क (सीबीडी), तारीख 07 सितंबर, 2017 संख्यांक सा.का.नि. 1137(अ), तारीख 07 सितंबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक 05/2021 सीमा-शुल्क (सीबीडी) तारीख 30 सितंबर, 2021 द्वारा अंतिमबार संशोधित की गई थी जो संख्यांक सा.का.नि. 684(अ), तारीख 30 सितंबर, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी ।